<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 12/2020 **दायर दिनांकः 13/10/2020**

उनवान

1. छोटूलाल आयु 60 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बरलां तहसील अटरू जिला बारा (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 05/08/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल बरलां तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 149 का ख0नं0 50/1016 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 54 का रकबा 0.22 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.40 है0 आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता है। नकल जमाबन्दी नवीन खाता संख्या 149 साथ में संलग्न है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी का नाम खाते में गलती से छोटूलाल के स्थान पर हरिश दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम छोटूलाल है। प्रार्थी के ग्राम बलदेवपुरा की खाता संख्या 73 व ग्राम बरलां की खाता संख्या 176 की आराजी में भी अन्य सहखातेदारान के साथ सही नाम छोटूलाल दर्ज हो रहा है। तथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा ग्राम पंचायत बरलां द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का सही नाम छोटूलाल दर्ज है। आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण द्वारा प्रार्थी का नाम छोटूलाल के स्थान पर हरिश दर्ज करने की त्रुटि की है जिसे ठीक किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम छोटूलाल के स्थान पर हरिश दर्ज करने की त्रुटि आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने की है इसलिए प्रार्थी आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा की गई त्रुटि को का अधिकारी है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित आराजी में नमा हरिश के स्थान पर छोटूलाल दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को दिया तो उन्होंने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम हरिश के स्थान पर छोटूलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत pw 1 से pw 3 के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित ग्राम एवं माल बरलां तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 149 का ख0नं0 50/1016 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 54 का रकबा 0.22 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.40 है0 में प्रार्थी का नाम हरिश पुत्र मांगीलाल दर्ज है। ग्राम बलदेवपुरा की खाता संख्या 73 रकबा 2.78 है0 में प्रार्थी का नाम छोटुलाल पुत्र मांग्या दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक ऑफ बडौदा की पास बुक में प्रार्थी का नाम छोटुलाल पुत्र मांगीलाल दर्ज है तथा ग्राम पंचायत बरलां के प्रमाण पत्र दिनांक 07.10.2020 अनुसार भी प्रार्थी का नाम छोटूलाल पुत्र मांगीलाल व हरिश पुत्र मांगीलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति है।

रिकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम बरलां संवत 2074–2077 खाता संख्या 149 में प्रार्थी का नाम हरिश पुत्र मांगीलाल दर्ज है। तथा जमाबन्दी ग्राम बलदेवपुरा सवंत् 2073–2076 खाता संख्या 73 में प्रार्थी का नाम छोटुलाल पुत्र मांग्या दर्ज है। रिकार्ड एवं साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी का सही नाम छोटुलाल पुत्र मांगीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बरलां तहसील अटरू जिला

बारां में खाता संख्या 149 का ख0नं0 50/1016 का रकबा 0.18 है0, ख0नं0 54 का रकबा 0.22 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.40 है0 में सहखातेदार हरिश पुत्र मांगीलाल के स्थान पर हरिश उर्फ छोटूलाल पुत्र मांगीलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:54:56 IST
Reason: SelfAttested